फाइल सं. 23011/17/2016-एमपीआर

भारत सरकार

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

उर्वरक विभाग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 17 अप्रैल, 2017

कार्यालय ज्ञापन

विषय : फास्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त (पीएण्डके) उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित राजसहायता (एनबीएस) का कार्यान्वयन और 2017-18 के लिए एनबीएस दरों का संशोधन।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि 1 अप्रैल, 2017 से लागू वर्ष 2017-18 की एनबीएस नीति के तहत शामिल किए गए पीएण्डके उर्वरकों में निहित पोषकतत्वों यथा नाइट्रोजन (एन) फास्फेट (पी) पोटाश (के) एवं सल्फर (एस) पर प्रति कि.ग्रा. राजसहायता निम्न प्रकार होगी:

क्र.सं.	पोषक तत्व	एनबीएस (पोषकतत्व पर प्रति कि.ग्रा. रुपए)
1.	एन	18.989
2.	पी	11.997
3.	के	12.395
4.	एस	2.240

2. 1 अप्रैल, 2017 से लागू 2017-18 के लिए एफसीओ और एनबीएस नीति के तहत शामिल पीएण्डके उर्वरकों के विभिन्न ग्रेडों पर प्रति मी.टन राजसहायता निम्न प्रकार होगी:-

क्र.सं.	उर्वरक का नाम (पोषक तत्व मात्रा)	2014-15 के लिए प्रस्तावित एनबीएस दरें (रुपए/मी.टन)
1.	डीएपी : 18-46-0-0	8937
2.	एमओपी :0-0-60-0	7437
3.	एसएसपी : 0-16-0-0	2166
4.	एनपीएस : 20-20-0-13	6488
5.	एनपीके:10-26-26-0	8241
6.	एनपीएस : 20-20-0-0	6197
7.	एनपीके: 15-15-15	6507
8.	एनपी :24-24-0-0	7437
9.	एएस :20.5-0-0-23	4408
10.	एनपी : 28-28-0-0	8676
11.	एनपीके : 17-17-17	7375
12.	एनपीके: 19-19-19	8242
13.	एनपीके: 16-16-16-0	6941
14.	एनपीएस:16-20-0-13	5729
15.	एनपीके : 14-35-14	8593
16.	एनपीएस : 24-24-0-8*	7437
17.	एमओपी : 11-52-0-0	8327
18.	टीएसपी: 0-46-0-0	5519
19.	एनपीके : 12-32-16	8101
20.	एनपीके: 14-28-14	7753
21.	एनपीके: 15-15-15-09	6709

* सल्फर पर राजसहायता शामिल नहीं हैं।

3. एनबीएस नीति के तहत शामिल किए गए पीएण्डके उर्वरकों का कोई प्रकार जो, एफसीओ के प्रावधानों के तहत, निर्धारित बोरोन और जिंक से सम्पुष्ट/विलेपित हो, वह भी राजसहायता का पात्र होगा। ऐसे सम्पुष्ट/ विलेपित उर्वरक ग्रेड अपने प्राथमिक पोषकतत्वों के साथ अनुप्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए नीचे उल्लिखित दरों के अनुसार प्रति. टन अतिरिक्त राजसहायता मिलेगी:

क्रम सं.	**एफसीओ के अनुसार सम्पुष्टता के लिए पोषक तत्व**	**सम्पुष्ट/विलेपित उर्वरकों के लिए अतिरिक्त राजसहायता (रुपये/मी.टन)**
1.	बोरोन (बी)	300
2.	जिंक (जेडएन)	500

4. पीएण्डके उर्वरकों के अधिकतम खुदरा मूल्यों की उपयुक्तता की जांच करने के लिए कंपनियों आवश्यकता और समय-समय पर जारी उर्वरक विभाग के निर्देशानुसार प्रमाणित लागत आंकड़े प्रस्तुत करना जारी रखेगी। कंपनियों उर्वरक विभाग को नियमित रूप से पीएण्डके उर्वरकों के अधिकतम खुदरा मूल्यों की रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेंगी।

5. उर्वरक कंपनियों के लिए उर्वरक बैगों पर लागू राजसहायता के साथ अधिकतम खुदरा मूल्य को स्पष्ट रूप से छापना आवश्यक है। छपे हुए एमआरपी से ज्यादा पर बिक्री करना ईसी अधिनियम के तहत दंडनीय होगा।

6. तैयार उर्वरकों, उर्वरक आदानों के आयात के साथ-साथ उर्वरकों के वितरण और संचलन तथा स्वेदशी इकाइयों द्वारा उत्पादन की निगरानी ऑन लाइन वैब आधारित एकीकृत उर्वरक निगरानी प्रणाली (आईएफएमएस) (तत्कालीन एफएमएस और एमएफएमएस) के माध्यम से जारी रहेगी।

7. एसएसपी के विनिर्माताओं समेत पीएण्डके उर्वरकों के विनिर्माताओं/विपणनकर्ताओं/आयातकों को यह सुनिश्चित करना होता है कि एफ.ओ.आर सुपुर्दगी आधार पर खुदरा बिन्दु तक उर्वरकों का परिवहन किया जाता है।

8. अनुकूलित उर्वरकों और मिश्रित उर्वरकों के विनिर्माता, कृषि उद्देश्य के लिए अनुकूलित उर्वरकों और मिश्रित उर्वरकों के विनिर्माण हेतु आदान के रूप में जिलों में पहुंचने के पश्चात्, विनिर्माताओं/आयातकों से राजसहायता प्राप्त स्रोत पीएण्डके उर्वरकों को प्राप्त करने के पात्र होंगे। अनुकूलित उर्वरकों एवं मिश्रित उर्वरकों की बिक्री पर अलग से कोई राजसहायता नहीं होगी।

9. पीएण्डके उर्वरकों के विनिर्माताओं/आयातकों को राजसहायता की अदायगी विभाग द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 25.10.2012 की विभागीय अधिसूचना सं. डी (एफए)/सीसीईए/2011 में उल्लिखित प्रक्रियाओं एवं निबंधन तथा शर्तों के अनुसार जारी की जाएगी।

10. सस्ती घरेलू गैस के उपयोग के कारण पीएण्डके उर्वरकों के विनिर्माताओं को होने वाले लाभ को समाप्त कर दिया जाएगा जिसके लिए अलग से दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।

11. इसे 31 मार्च, 2014 के डायरी सं. 5299/एएसएण्डएफए के द्वारा आईएफडी की सहमति और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

(डी.पी.श्रीवास्तव)
निदेशक, (पीएण्डके)
दूरभाष: 23389839

1. सचिव (कृषि), डीसीएण्डएफडब्ल्यू, कृषि भवन, नई दिल्ली।
2. सचिव (व्यय), व्यय विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), नीति आयोग, नई दिल्ली
4. सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
5. संयुक्त सचिव (आईएनएम), डीएसीएण्डएफडब्ल्यू कृषि भवन, नई दिल्ली।
6. संयुक्त सचिव (पीएफ-II), व्यय विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
7. संयुक्त सचिव (श्री अनुराग जैन) प्रधानमंत्री कार्यालय, साऊथ ब्लॉक, नई दिल्ली।
8. निदेशक (मंत्रिमंडल), मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
9. निदेशक (श्री मयूर महेश्वरी), पीएसओ, साऊथ ब्लॉक, नई दिल्ली
10. कार्यकारी निदेशक (एफआईसीसी), उर्वरक विभाग, नई दिल्ली।
11. निदेशक (उर्वरक लेखा), उर्वरक विभाग, नई दिल्ली।
12. निदेशक (वित्त)/उप सचिव (वित्त) उर्वरक विभाग, नई दिल्ली।
13. निदेशक (संचलन)/निदेशक (एफपीपी) उर्वरक विभाग, नई दिल्ली।
14. महानिदेशक, एफएआई, नई दिल्ली।
15. सभी यूरिया विनिर्माता और पीएण्डके उर्वरक विनिर्माता एवं आयातक।

प्रतिलिपि:

1. मुख्य सचिव/सभी कृषि उत्पादन आयुक्त/ राज्य सरकारों/संघ राज्यों के सचिव(कृषि)।
2. आयुक्त/निदेशक, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के आयुक्त/कृषि निदेशालय।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी प्रेषित:

रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री जी के निजी सचिव/ रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री जी के निजी सचिव/सचिव (उर्वरक) के वरिष्ठ प्रधान के निजी सचिव/एएसएण्डएफए/संयुक्त सचिव (डीपी)/संयुक्त सचिव (एटी)/संयुक्त सचिव (एसकेएल)/आर्थिक सलाहकार/मुख्य लेखा नियंत्रक/वेतन तथा लेखा अधिकारी/अवर सचिव (रियायत विंग)/ वरि. एडी(लेखा), एफए विंग/उर्वरक विभाग के सभी अनुभाग/तकनीकी निदेशक, एनआईसी को विभाग की वेबसाइट में इसे अपलोड करने हेतु।

(डी.पी.श्रीवास्तव)
निदेशक, (पीएण्डके)
दूरभाष: 23389839